संख्या- 25 / 2018 / 239 / चार-2018 -28(बजट)/12

प्रेषक,

हीरा लाल
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017 -18 में जनपद आजमगढ में हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 3081/सं0नि-6(30)/11-12,दिनांक 17 जनवरी, 2018 के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर,2013 द्वारा कार्य की अनुमोदित लागत धनराशि रू0 1717.73 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 100.00 लाख , शासनादेश संख्या-84/3201/चार-2015-28(बजट)/12 दिनांक 28 अगस्त, 2015 द्वारा धनराशि रू0 700.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12 दिनांक 03 अगस्त, 2016 द्वारा धनराशि रू0 1.00 लाख अर्थात इस प्रकार कुल रू0 801.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तद्नुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपये एक करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु दी गयी उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी:-

(1) शासनादेश संख्या-3855/चार-2013-28(बजट)/12, दिनांक 31 दिसम्बर,2013 , शासनादेश संख्या-84/3201/चार-2015-28(बजट)/12 दिनांक 28 अगस्त, 2015 तथा शासनादेश संख्या-138/2016/1109/चार-2016-28(बजट)/12 दिनांक 03 अगस्त, 2016 में उल्लिखित शेष शर्ते/प्रतिबन्ध आदि यथावत रहेंगे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-92 के अधीन लेखाशीर्षक ''4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय - आयोजनागत -04-कला तथा संस्कृति -800-अन्य व्यय -08- आजमगढ में हरिऔध कला केन्द्र के भवन का निर्माण -24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(हीरा लाल)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

संख्या - 25 /2018 / 239 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, आजमगढ।
3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
6- महाप्रबन्धक (नि0-13) नोडल अधिकारी, सी0एण्ड डी0एस0 (उत्तर प्रदेश जल निगम),लखनऊ/ परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश जल निगम, यूनिट आजमगढ।
7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।